



दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने 'मॉर्निंग वॉक' कर जाना जनपदवासियों का हाल..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में लांच किये गये ***गुड मॉर्निंग महोबा*** कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा 'मॉर्निंग वॉक' कर जनपदवासियों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 07.01.2021 को जनपदीय महोबा पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग महोबा' कह लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। समस्त थानों की गुड मॉर्निंग टीमों प्राप्त शिकायतों का समाधान करेंगी और सुधारात्मक उपाय करेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों की छवि को **'मित्र पुलिस'** के रूप में बढ़ावा देना है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को दूर कर रहा है।

जिसके क्रम में पुलिस की बेहतर छवि को बढ़ावा देने के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा पार्क, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 'मॉर्निंग वॉक' करेंगी और जनपदवासियों से उनकी कुशलता की जानकारी लेगी व समस्या का त्वरित निस्तारण भी करेंगी, महोबा पुलिस की यह पहल लोगो में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है।





दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



थाना खन्ना पुलिस ने वांछित अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री शिव आसरे की देखरेख में गठित की गयी पुलिस टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 02/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमश:-1. अवधेश कुमार पुत्र श्री मूलचन्द्र कुशवाहाउम्र 25 वर्ष 2. मूलचन्द्र पुत्र स्व० रामनाथ उम्र 58 वर्ष 3. श्रीमती कुशुमकली पत्नी मूलचन्द्र उम्र 56 वर्ष को चिचारा मोड के गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. अवधेश कुमार पुत्र श्री मूलचन्द्र कुशवाहाउम्र 25 वर्ष
2. मूलचन्द्र पुत्र स्व० रामनाथ उम्र 58 वर्ष
3. श्रीमती कुशुमकली पत्नी मूलचन्द्र उम्र 56 वर्ष निवासीगण ग्राम कुलंकुआ थाना खन्ना जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थाना खन्ना।

1. थाना प्रभारी वरि.उ.नि. महेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का.ज्ञानेन्द्र सिंह 3. का.राहुल यादव 4. म.का.प्रीति 5. म.का.खुशबू ...।





दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस ने हर्ष फायरिंग के वांछित अभियुक्त को तमंचे सहित किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी/नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत दिनांक 06.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री अनिल कुमार द्वारा टीम गठित कर थाना हाजा में पंजीकृत मु०अ०सं० 02/21 धारा 286 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकुमार सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा को अभियुक्त के दरवाजे बहद ग्राम पुपवारा से मु०अ०सं० 02/21 धारा 286 आईपीसी से सम्बन्धित एक अदद तमंचा 315 बोर, नाल में फंसा हुआ एक अदद कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा में मु०अ०सं० 03/21 धारा 3/25 ए. एक्ट. के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शिवकुमार सिंह उपरोक्त को बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण...थाना खरेला।

1. उ०नि० सुमेर सिंह
2. का० शैलेन्द्र प्रजापति
3. का० अखिलेश कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

शिवकुमार सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा।



दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



महाभियान 'मिशनशक्ति' के तहत बालिकाओं/महिलाओं एवं बालकों को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक...



उ0प्र0 शासन व उ0प्र0 पुलिस के द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक किये जाने हेतु चलाये जा रहे महाभियान *मिशनशक्ति* के तहत आज दिनांक 07.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में "मिशन शक्ति" कार्यक्रम के दृष्टिगत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा **मदारन देवी इण्टर कालेज, चरखारी** में जाकर छात्राओं को नारी सम्मान, नारी

स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनों की भी जानकारी दी गई।

इसी क्रम में महिला थाना प्रभारी उ0नि0 शिल्पी शुक्ला मय टीम द्वारा **रामकथा मार्ग, महोबा** में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया। जागरूक करते वक्त सभी को बताया गया कि जनपद के प्रत्येक थाने में "महिला हेल्प डेक्स" बनाया गया है। जहाँ आप सभी बेहिचक अपनी समस्याओं को बता सकती हैं एवं उनका तत्परता के साथ निस्तारण भी किया जाएगा।





दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार जारी है संदिग्धों का चेकिंग अभियान:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जनपदवासियों को सुरक्षा का अहसास दिलाने के क्रम में संदिग्ध/शातिर अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार-प्रतिदिन बैंको/भीड-भाड वाली जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बैंकों की सघन चेकिंग की गई। जिसके तहत बैंक के अन्दर सभी खाताधारकों को चेक किया गया एवं अनावश्यक रूप से बैंक के अन्दर व बाहर खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर हटाया गया। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे/आलर्म आदि सुरक्षा-उपकरणों को भी चेक किया गया। इस सम्बन्ध में बैंक शाखा-प्रबन्धक से आवश्यक वार्ता भी की गई। चेकिंग के दौरान बैंक के बाहर बिना लाक/बिना नम्बर की खड़ी गाड़ियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। बैंको को मेन गेट पर चेन लगाकर एक-एक व्यक्ति को ही अन्दर/बाहर जाने को लेकर निर्देशित भी किया गया।





दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर थाना कबरई में की गयी ग्राम प्रहरीगण के साथ मीटिंग तथा महोबकण्ठ पुलिस ने गावों में किया चौपाल का आयोजन...



विभिन्न गांवों में जाकर आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए शस्त्र-सत्यापन, हिस्ट्रीशीटों की चेकिंग, पुराने विवाद तथा ग्राम वासियों के साथ चौपाल लगाकर गांव के लोगो की समस्याओं को सुना गया तथा सभी लोगो से आपस में शांति-व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी।

आज दिनांक 07.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा ग्राम प्रहरीगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया तथा थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री दिनेश सिंहके नेतृत्व में मय टीम द्वारा





दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



थाना चरखारी पुलिस ने शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान प्रविन्टिव एक्शन व निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 06.01.2021 को थाना चरखारी प्रभारी श्री लाखन सिंह द्वारा गैंग लीडर सुनील कुमार राजपूत जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अन्य जनपदों में अवैध असलाह के साथ चोरी, लूट, छिनैती कर लोगों में डर भय आतंक फैलाने का काम किया जाता रहा है। इस गैंग का आम जनमानस में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि इस गैंग के विरुद्ध कोई भी जनता का व्यक्ति पुलिस से शिकायत या गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इस गैंग के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं माननीय न्यायालय से जेल में निरुद्ध अभियुक्त गण गैंग लीडर 1. सुनील राजपूत पुत्र हरी सिंह राजपूत निवासी ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर व गैंग के सक्रिय सदस्य 2. विपिन राजपूत पुत्र जयपाल राजपूत निवासी ग्राम औड़ेरा थाना राठ जनपद हमीरपुर 3.

धीरेन्द्र राजपूत पुत्र फेरूलाल निवासी परा थाना राठ जनपद हमीरपुर 4. पुष्पेन्द्र राजपूत उर्फ मुन्नू राजपूत पुत्र श्री भगत सिंह निवासी ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर को जिला कारागर महोबा से तलब कराकर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध वारण्ट बनाने हेतु तलब कराया गया है।

गैंग लीडर व सदस्यों का विवरण:-

गैंग लीडर - 1. सुनील राजपूत पुत्र हरी सिंह राजपूत निवासी ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र 25 वर्ष
व गैंग के सक्रिय सदस्य 2. विपिन राजपूत पुत्र जयपाल राजपूत निवासी ग्राम औड़ेरा थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र 28 वर्ष 3. धीरेन्द्र राजपूत पुत्र फेरूलाल निवासी परा थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 30 वर्ष 4. पुष्पेन्द्र राजपूत उर्फ मुन्नू राजपूत पुत्र श्री भगत सिंह निवासी ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र 23 वर्ष

गैंग का आपराधिक इतिहास-

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील राजपूत पुत्र हरी सिंह राजपूत निवासी ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर निम्न है :-

क्र.सं.	मु.अ.स.	धारा	नाम थाना
1	52/17	457/380 IPC	डकोर
2	56/17	457/380/411 IPC	डकोर
3	62/17	307 IPC	डकोर
4	98/17	2/3 गैंगेस्टर एक्ट	डकोर



दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



5	244/16	457/380/411 IPC	डकोर
6	345/17	307/399/402/411 IPC व 12/14 DA ACT	राठ
7	347/17	4/5 Explosive act	राठ
8	138/17	452/323/504/506 IPC	राठ
9	213/20	323/506 IPC व 3(2)5क/3(1)द,ध SC/ST ACT	राठ
10	414/17	147/148/149/452/504/506 IPC व 3(1) द, ध Sc/St Act	राठ
11	100/18	8/20 NDPS ACT	चरखारी
12	311/19	380/457/411 IPC	चरखारी
13	85/20	174क IPC	चरखारी
14	95/18	457/380/411 IPC	चरखारी
15	357/20	307 IPC	चरखारी
16	365/20	3/25 आर्म्स एक्ट	

आपराधिक इतिहास विपिन राजपूत पुत्र जयपाल राजपूत निवासी ग्राम औड़ेरा थाना राठ जनपद हमीरपुर

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना	जनपद
1	273/2020	2/3 गैंगस्टर अधिनियम	राठ	हमीरपुर
2	26/2020	457/380 IPC	राठ	हमीरपुर
3	497/2019	394/411 IPC	राठ	हमीरपुर
4	222/2019	8/20 NDPS ACT	राठ	हमीरपुर
5	22/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	राठ	हमीरपुर
6	23/2019	2/3 गैंगस्टर अधिनियम	राठ	हमीरपुर
7	583/2018	3/25 आर्म्स एक्ट	राठ	हमीरपुर
8	565/2018	392/411 IPC	राठ	हमीरपुर
9	47/2018	411 IPC	राठ	हमीरपुर
10	568/2018	392/411 IPC	राठ	हमीरपुर
11	174/19	325/323/504/506 IPC	राठ	हमीरपुर
12	221/19	4/25 आर्म्स एक्ट	राठ	हमीरपुर
13	466/19	380 IPC	राठ	हमीरपुर
14	479/19	394 IPC	राठ	हमीरपुर
15	311/19	380/457/411 IPC	चरखारी	महोबा
16	357/20	307 IPC	चरखारी	महोबा
17	360/20	3/25 ए एक्ट	चरखारी	महोबा



दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



आपराधिक इतिहास धीरेन्द्र पुत्र फेरूलाल निवासी परा थाना राठ जनपद हमीरपुर

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना	जनपद
1	244/2016	457/380 IPC	डकोर	जालौन
2	52/2017	457/380 IPC	डकोर	जालौन
3	56/2017	457/380 IPC	डकोर	जालौन
4	62/2017	307 IPC	डकोर	जालौन
5	65/2017	25/27 आर्म्स एक्ट	डकोर	जालौन
6	98/2017	2/3 गैंगस्टर एक्ट	डकोर	जालौन
7	40/2017	457/380 IPC	सिरसा कलार	जालौन
8	138/17	323/452/504/506 IPC	राठ	हमीरपुर
9	213/20	323/506 IPC व 3(1) द, ध 5ए sc/st act	राठ	हमीरपुर
10	357/20	307 IPC	चरखारी	महोबा
11	361/20	3/25 ए एक्ट	चरखारी	महोबा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ मुन्नू राजपूत पुत्र श्री भगत सिंह निवासी ग्राम परा थाना राठ जिला हमीरपुर निम्न है :-

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	नाम थाना
1	311/19	457/380/411 IPC	चरखारी
2	357/20	307 IPC	चरखारी
3	141/18	8बी/20 NDPS Act	राठ
4	345/17	307/399/402/411 IPC व उ0प्र0 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 12/14	राठ

गैंगस्टर बनाने वाली पुलिस टीम -

1. श्री लाखन सिंह (थाना प्रभारी चरखारी)
2. का(आरक्षी चरखारी) योगेन्द्र सिंह .
3. का(आरक्षी चरखारी) नी कुमारअश्व .
4. का(आरक्षी चरखारी) प्रविन्द कुमार .



दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस ने 10 लीटर अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 07.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थाना प्रभारी चरखारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 शिवरतन गुप्ता मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बफरेता थाना चरखारी से अभियुक्त पवन पुत्र हीमाधर राजपूत उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बफरेता थाना चरखारी जनपद महोबा को मय **10 लीटर कच्ची शराब नाजायज** के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 08/21 धारा 60 EX. ACT** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

पवन पुत्र हीमाधर राजपूत उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बफरेता थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. SI शिवरतन गुप्ता
2. हेड का. कृष्णपाल सिंह
3. का. अरविन्द कुमार पाल



दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



चेकिंग अभियान के तहत पैदल गस्त करके चेक किये गये संदिग्ध एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 92 व्यक्तियों से 13500/-रु0 जुर्माना व 78 ई-चालान व 05 न्यायालय भी किये गये।



आज दिनांक 07.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त कर संदिग्धों/अराजक तत्वों/होटल/ढाबा/मुख्य बाजार आदि जगहों की चेकिंग की गई, इसके साथ ही बार्डर पर बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग व पूछताछ की गई। **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा





दिनांक:- 07.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



Good Morning Mahoba



महोबा पुलिस द्वारा 'गुड मॉर्निंग महोबा' अभियान के तहत पुलिस/नागरिकों के बीच "पुलिस मित्र" के रूप में बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने की अनोखी पहल है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को दूर करने का एक अच्छा माध्यम बन रहा है।